संख्या- 21/2019/597/24-1-19-2595/2008 टी0सी0

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्यु उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2019**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में घाटमपुर (कानपुर) में मेसर्स निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम में 2000 मेगावाट की तापीय परियोजना की स्थापना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-08/उ0नि0लि0/निदे0(वित्त), दिनांक 15.02.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश -07- उ0प्र0 पावर ट्रासमिशंन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूंजी -30- निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 1604,66,00,000/-(रूपये एक हजार छः सौ चार करोड़ छाछ्ठ लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 256,00,00,000/-(रूपये दो सौ छप्पन करोड़ मात्र) को संलग्नक बी0एम0 09 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को अनुदान सं0-09 के लेखाशीर्षक ''4801-बिजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-19-घाटमपुर कानपुर में मेसर्स निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम में 2000 मेगावाट की तापीय परियोजना की स्थापना- 30-निवेश/ऋण'' में से स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता

http://shasanadesh.up.nic.in